1V 75/2018

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DW 190715

संशोधित ट्रस्ट–डीड कार्यवाही

पूर्व सूचना के अनुसार आज दिनांक 15.03.2018 को **दुर्गेश नन्दिनी सेवा ट्रस्ट, देवकाली, फैजाबाद** उ0प्र0 के प्रांगण में अध्यक्ष महोदय की अध्यक्ष में बैठक सम्पन्न हुयी। जिसमें कुल 2/3 सदस्य उपस्थित रहे। नियमानुसार कोरम पूरा रहा।

प्रस्ताव नं0–1

पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर विचार :- पिछली कार्यवाही उपस्थित सभी सदस्यों को पूर्ण रूप से पढ़कर सुनायी गयी एवं उसकी पुष्टि की गयी। जिसका समर्थन सभी सदस्यों ने किया।

प्रस्ताव नं0–2

ट्रस्ट के उद्देश्यों की सम्पूर्ण भारत में कार्य करने पर वर्तमान न्यास विलेख पर संशोधन करने पर विचार:-

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रखा कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की सम्पूर्ण भारत में कार्य करने पर वर्तमान न्यास विलेख पर संशोधन करना अति आवश्यक है। वर्तमान न्यास पत्र दिनांकित 30.07.2014 को बही संख्या 4 जिल्द संख्या 395, पृष्ठ 69 से 80 पर क्रमांक 98 पर सब रजिस्ट्रार फैजाबाद के कार्यालय में पंजीकृत किया है उक्त न्यास विलेख में संशोधन करके नयी न्यास विलेख बनाना अति आवश्यक है। जिसके उपरान्त

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School

....2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 190716

(2)

न्यास विलेख का पंजीकरण सब रजिस्ट्रार फैजाबाद के कार्यालय में करा लिया जाये। जिसके उपरान्त वर्तमान न्यास विलेख के स्थान पर संशोधित न्यास पत्र दुर्गेश नन्दिनी सेवा ट्रस्ट का पढा जायेगा। जिसका समर्थन उपस्थित सभी सदस्यों ने किया।

प्रस्ताव नं0-3

बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टी के नये नाम एवं अधिकार एवं कर्तव्य पर विचार :-

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रखा कि बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टी के नाम एवं अधिकार एवं कर्तव्य में संशोधन अति आवश्यक है जिसका समर्थन उपस्थित सभी सदस्यों ने किया।

प्रस्ताव नं0-4

ट्रस्ट के नये उद्देश्यों के प्रचार प्रसार हेतु एवं ट्रस्ट के कार्यक्षेत्र को सम्पूर्ण भारत वर्ष में विस्तारित करने पर विचार :-

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रखा कि बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्ट के नये उद्देश्यों के प्रचार प्रसार हेतु एवं ट्रस्ट के कार्यक्षेत्र को सम्पूर्ण भारत वर्ष में विस्तारित करने पर विचार किया। जिसका समर्थन उपस्थित सभी सदस्यों ने किया।

....3

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 073866

45. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सीवर, सफाई जल निकासी का निर्माण व संचालन करना तथा समग्र सफाई अभियान का संचालन करना।

46. ट्रस्ट द्वारा मानव कल्याण हेतु शिक्षा, पोषण, आवास, स्वास्थ्य एंव पर्यावरण जैसे आधार भूत आवश्यकताओं का सृजन, संरक्षण तथा उनके प्रति जागरूकता हेतु सभी संसाधनो का उपयोग करना।

47. ट्रस्ट द्वारा ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा, सुरक्षा तथा पहचान पारम्परिक रीतियों के अनुसार व्यवस्थित, रखने का प्रचार–प्रसार करना।

48. ट्रस्ट द्वारा समाज में फैली कुरीतियो, रूढ़िवादी विचारों, अन्धविश्वासों को समाप्त करने हेतु प्रचार–प्रसार का आयोजन करना।

49. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण व शहरी पेयजल तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के क्षेत्र को उपयुक्त रीति से निर्धारण में सहायता करना तथा पेयजल श्रोत, स्वच्छता एवं जलसंरक्षण के संचालन हेतु बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन आदि का निर्माण एंव रख रखाव व प्रबन्धन करना।

50. ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी अर्द्ध सरकारी विभागों व्यक्ति/व्यक्तियो स्वंय सेवी संगठनों से परियोजना सम्बन्धी परामर्श व अनुदान प्राप्त करना तथा उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

51. ट्रस्ट द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में क्रियान्वयन, अनुश्रवण व संचालन का कार्य करना।

52. ट्रस्ट द्वारा नि: शुल्क प्रौढ़ आँगनबाड़ी सेवा जनशिक्षण केन्द्र सहभागी शिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

53. ट्रस्ट द्वारा उपभोगता संरक्षण हेतु उनके अधिकारों का जन–जन तक ज्ञान पहुँचाने हेतु उनके कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

54. गावों में किसानों, मजदूरों, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों व महिलाओ को मधुमक्खी पालन तथा पशुपालन का प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वरोजगार उपलब्ध कराना तथा मधुमक्खी पालन सम्बन्धी समस्त उपकरणों को बनाना तथा बनाने की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।

सामूहिक जन चेतना क्रिया कलाप अथवा शिविर का आयोजन करना। जिससे निम्नलिखित

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

माया सिंह

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

........11

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 073867

(11)

क्रियाकलापों को बल मिल सकें –

(अ) नदी झील व कुए आदि की पहचान सम्बन्धी कार्य करना।

(ब) चित्रकारी नारे निबन्ध वाद विवाद प्रतियोगिता करना।

(स) उद्योग अथवा अवशिष्ट पदार्थो का समुचित संयोजन जागृति पैदा करना आदि।

56. मत्स्य संवर्धन व पालन हेतु जनता या विशिष्ट लोगो से दान प्राप्त करना। वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर मत्स्य संवर्धन व पालन के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करना।

57. मत्स्य पालन हेतु नये व मान्य वैज्ञानिक तरीकों व प्रणाली को सर्वव्यापी बनाने पर जोर देना।

58. मत्स्य पालन व संवर्धन के माध्यम से हो रही आय से क्षेत्र व ग्राम का विकास करना।

59. बकरी पालन, बकरी सम्बन्धी फार्म की स्थापना करना तथा उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना तथा गैर/गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करते हुए ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति करना।

60. ट्रस्ट द्वारा ऐसी युवाओं को पुरस्कृत करना जो नशामुक्ति व युवाओं की जागरूकता आदि सम्बन्धित कार्य कर रहें हो व उनकी पूरी तरह से मदद करना एवं सरकार से मदद दिलाने की व्यवस्था करना।

61. ट्रस्ट द्वारा विशषज्ञों के माध्यम से कृषि कार्यक्रमों को बढ़ावा देना एवं उनसे सम्बन्धित संस्थानों की स्थापना, संचालन एवं प्रबन्धन करना।

62. ट्रस्ट द्वारा नयी युवा प्रतिभाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा प्रोत्साहित करना तथा नेहरू युवा केन्द्र, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे युवा कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

63. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को जागरूक बनाने हेतु जागरूकता शिविर लगाना, परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी दिलाना। शिशु पालन गृह का संचालन करना।

64. ट्रस्ट द्वारा समाजोत्थान हेतु संगोष्ठियो परि–चर्चाओं आदि का आयोजन करना एवं बालको के

........12

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 073868

कल्याण हेतु समय–समय पर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा विभिन्न योजनाओं का जन–मानस में प्रचार प्रसार कर उन्हें जागरूक करना।

65. ट्रस्ट द्वारा सम्प्रदायिकता के विनाश एंव राष्ट्रीय एकता अखण्डता एंव बन्धुत्व के प्रचार हेतु सांस्कृतिक कार्य का आयोजन करना।

66. ट्रस्ट द्वारा श्रमिक वर्ग, खेतिहर वर्ग, निर्बल वर्ग, अल्पवर्ग, महिला वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्प पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति आदिवासी, मलिन वर्ग एंव गरीब सभी जाति वर्ग के लोगों हेतु तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा पोषण व रैन बसेरा आवास की व्यवस्था करना तथा संचालन करना।

67. ट्रस्ट द्वारा हस्तकरघा, शक्तिकरघा, पापड़ उघोग, नमकीन, खाद्य तेलधानी, हस्तशिल्प, शिल्पकला, पेन्टिग, हस्तकला, हस्तकागज वस्त्र उधोग, चिकन होजरी, सिलाई, कढ़ाई, जूट सामग्री, रेडीमेड गारमेन्टस, सब्जी मसाला, पैकिंग, चर्मकला उधोग, चित्रकला काष्ठकला, हाथ कागज, लिफाफा, फाइवर, गिलास, मसरूम कल्टीवेशन, रेशम उत्पादन एवं तकनीकी प्रशिक्षण, नवीन कृषि प्रशिक्षण खनिज सम्पदा, औषधीय सम्पदा, पौधा रोपण, नर्सरी वनीकरण, वृक्ष संरक्षण, खादी, कताई, कम्प्यूटर, शार्टहैड, टाइपिंग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक्स, उद्योग आदि की उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना एवं उक्त व्यवसाय मे लगे लोगों का उत्थान करना।

68. ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण मलिन बस्तियो, जंगल वासियो, आदिवासियो, अल्पसंख्यको, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गो व अति कमजोर विस्थापित व अप्रवासी/प्रवासी गरीबों व निःसहाय आवास पोषण पौष्टिक आहार आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराना व निर्माण संचालन प्रबन्धन सेवा परामर्श आदि कार्य करना।

69. ग्रामीण पुनः निमार्ण खाद्य सुरक्षा कृषि क्षेत्र के निर्माण भूमण्डलीय प्रति स्पर्धा कृषि विकास ग्रामीण संचार पंचायतीराज की जानकारी जन शिक्षण प्रौढ़ साक्षरता सुंगध एंव औषधीय पौधों की खेती भू–संसाधन संरक्षण एवं संवर्धन मानव संसाधन संरक्षण एंव संवर्धन अनुपयुक्त भूमि की उपयोगिता नवीन तकनीकी का प्रदर्शन व प्रचार–प्रसार खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो की स्थापना अनुसंधान एंव शिक्षा का संचालन व व्यवस्था करना।

........13

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 073869

70. ट्रस्ट द्वारा कृषि का विविधिकरण उन्नति पद्धतियो के द्वारा उत्पादन कर्ता को बढ़ाना भूमि संरक्षण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जलसंरक्षण जलसंचय तथा नमी संरक्षण का ज्ञान व प्रचार–प्रसार करना।

71. ट्रस्ट द्वारा सतत् ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाना। स्वैच्छिक कार्य सम्बन्धी राष्ट्रीय ऑकड़ा संग्रहण के रूप में कार्य करना उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्यौगिकियों के विकास और प्रचार–प्रसार के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना।

72. ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के लोगों की सहभागिता और स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का संचालन व नेटवर्किंग करना तथा ग्रामीण स्वच्छता स्वजल/पेयजल परियोजनाओं के कार्यक्रमो को संचालित करना।

73. ट्रस्ट द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण कर दिशा निर्देशन एंव प्रचार–प्रसार एंव रोकथाम करना। प्रदूषण रहित परियोजनाओ की व्यवस्था निर्माण एंव संचालन करना बाढ़/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रो/लोगो की मदद करना।

74. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित समस्त ग्राम उद्योगों की स्थापना करना।

75. ट्रस्ट द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु किसानो की सुविधा के लिए भण्डार गृह आदि की सुविधा उपलब्ध कराना व उसका संचालन एंव प्रबन्धन करना।

76. ट्रस्ट द्वारा विश्व स्तरीय संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा संचालित कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रबन्धन करना तथा उनसे हर प्रकार की सहायता प्राप्त कर असहाय निर्धन परिवार के जीवन को ऊपर उठाना होगा।

77. ट्रस्ट द्वारा आवश्यकता पड़ने पर निर्धन, असहाय, परिवारों की आर्थिक सहायता कैश (रोकड़) विधि माध्यम से तथा आवश्यक वस्तु प्रदान करके सहायता करना।

5. ट्रस्ट के धन का विनियोग –

ट्रस्ट के धन का उपार्जन एवं विनियोग आयकर नियमों के अनुसार एवं आयकर की धाराओं एवं अन्य सम्बन्धित धाराओं के अर्न्तगत किया जायेगा।

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 453705

2– उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना एंव व्यय करना, सहायता लेना व देना, आर्थिक संगठनों द्वारा ब्याज रहित व सहित ऋण लेना व देना, जायदाद खरीदना व बेचना, निर्माण करना, रहना–रखना, लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार करना एवं जो भी आवश्यक कार्य हों उन्हें करना।

3– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश–विदेश से दान व ऋण, क्रय विनियम, किराये पर या अन्य किसी प्रकार से भूखण्ड या कोई चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

4– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट द्वारा अर्जित की गयी चल या अचल सम्पत्ति का क्रय, प्रबन्ध हस्तांतरण, विनियम, बंधक, दृष्टि बंधक पट्टे, गिरवी या किसी भी भांति से उपयोग में लाना। विक्रय करने का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष व ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष को ही प्राप्त होगा।

5– अपने समस्त कार्यों हेतु ट्रस्ट के धन का विनियोग करना जो ट्रस्ट एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के हित में हो, अर्थात् लाभकारी हों।

6. <u>ट्रस्ट की सदस्यता</u> : वह व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो, पागल अथवा दिवालिया न घोषित हो, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष के अनुमोदन से ट्रस्ट का सदस्य बनाया जा सकता है। जो निम्नवत् होगा:–

1. <u>आजीवन सदस्य</u>:– जो व्यक्ति ट्रस्ट को निस्वार्थ भाव से एक मुश्त निर्धारित वार्षिक शुल्क या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा। वह व्यक्ति ट्रस्ट का आजीवन सदस्य होगा। जो स्थायी सदस्य होंगे तथा जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कहलायेंगे।

(क). स्थायी सदस्य :–

जो व्यक्ति ट्रस्ट को एक मुश्त निर्धारित वार्षिक शुल्क अथवा बहुमूल्य योगदान करेगा। वह व्यक्ति ट्रस्ट का स्थायी सदस्य बनाया जायेगा। जो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष की सहमति से बनाये जायेंगे। जिसकी न्यूनतम संख्या दो तथा अधिकतम संख्या ग्यारह होगी। उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सकें, से ग्रसित होने पर मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट

........15

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 453706

मैनेजिग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकता है। जिनको मत देने का अधिकार नही होगा।

2. सामान्य सदस्य:– जो व्यक्ति ट्रस्ट को निस्वार्थ भाव से एक मुश्त निर्धारित वार्षिक शुल्क यह इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा। वह व्यक्ति ट्रस्ट का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा। जो आजीवन न होगा तथा जो अस्थायी सदस्य होंगे। जिसमें संरक्षक सदस्य, संचालक सदस्य, नामित सदस्य व स्वयंसेवक सदस्य होंगे। इन्हे मत एवं स्वयं निर्णय लेने का अधिकार न होगा।

(क). संरक्षक सदस्य :–

जो व्यक्ति ट्रस्ट को एक मुश्त निर्धारित वार्षिक शुल्क अथवा बहुमूल्य योगदान करेगा। वह व्यक्ति ट्रस्ट का सरंक्षक सदस्य बनाया जायेगा। यह ट्रस्ट के अस्थायी सदस्य होंगे। जिसका कार्यकाल आजीवन न होगा तथां जो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष की सहमति से बनाये जायेंगे। जिसकी न्यूनतम संख्या दो तथा अधिकतम संख्या आवश्यकतानुसार घटाई व बढाई जा सकती है। जिनका अधिकार एवं कर्तव्य बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टी सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(ख). संचालक सदस्य :–

जो व्यक्ति ट्रस्ट को एक मुश्त निर्धारित वार्षिक शुल्क अथवा बहुमूल्य योगदान करेगा। वह व्यक्ति ट्रस्ट का संचालक सदस्य बनाया जायेगा। यह ट्रस्ट के अस्थायी सदस्य होंगे। जिसका कार्यकाल आजीवन न होगा तथा जो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष की सहमति से बनाये जायेंगे। जिसकी न्यूनतम संख्या दो तथा अधिकतम संख्या आवश्यकतानुसार घटाई व बढाई जा सकती है। जिनका अधिकार एवं कर्तव्य बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टी के सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(ग). नामित सदस्य :–

जो व्यक्ति ट्रस्ट को एक मुश्त निर्धारित वार्षिक शुल्क अथवा बहुमूल्य योगदान करेगा। वह व्यक्ति ट्रस्ट का नामित सदस्य बनाया जायेगा। वह ट्रस्ट का अस्थायी सदस्य होगा। जिसका कार्यकाल आजीवन न होगा तथा जो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिग

........16

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD.453710

(19)

21–. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट का स्थायी मण्डल समय समय पर निर्देशक, उपनिर्देशक, सचिव, उपसचिव, उपप्रबन्धक, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष आदि पदो पर नियुक्ति कर उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। इस दशा में ये समस्त सदस्य अस्थायी सदस्य होंगे। जिनका अधिकार एवं कर्तव्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

22– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थायी मण्डल समय समय पर निर्धारित शुल्क स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों से ले सकता है जो ट्रस्ट की निधि मानी जायेगी।

वे सभी सदस्य जो ट्रस्ट को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की हानि पहुचाते है तो ऐसे सदस्यों को मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर निकासित किया जा सकता है।

23– बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज के नाम, पते, पद निम्नवत् हैं:–

क्र0सं0	नाम, पिताकानाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती माया सिंह पत्नी श्री अवधेश कुमार सिंह	5/17/35, एफ देवकाली, फैजाबाद	मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष	गृहणी
2.	श्री अवधेश कुमार सिंह पुत्र श्रीराम सिंह	5/17/35, एफ देवकाली, फैजाबाद	ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/ उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्री सुदीप भूषण सिंह पुत्र स्व0 शशिभूषण शरण सिंह	ग्रा0 व पो0–बिशनोहरपुर, नवाबगंज, जिला–गोण्डा	सचिव	समाजसेवा
4.	डॉ. नीशी सिंह पत्नी डा0 सुदीप भूषण	ग्रा0 व पो0–बिशनोहरपुर, नवाबगंज, जिला–गोण्डा	प्रबन्धक/कोषाध्यक्ष	चिकित्सा
5.	श्रीमती प्रीति पत्नी श्री धीरज सिंह	5/17/35, एफ देवकाली, फैजाबाद	ट्रस्टी प्रथम	गृहणी
6.	नीतू सिंह पुत्री श्री अवधेश कुमार सिंह	5/17/35, एफ देवकाली, फैजाबाद	ट्रस्टी द्वितीय	समाजसेवा
7.	आकांक्षा सिंह पुत्री श्री अवधेश कुमार सिंह	5/17/35, एफ देवकाली, फैजाबाद	ट्रस्टी तृतीय	समाजसेवा

माया सिंह

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत
सत्यमेव जयते
INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 453708

(17)

उनके द्वारा मृत्यु पूर्व नामित व्यक्ति ही उनके स्थान पर नियुक्त होगा।

3– श्रीमती माया सिंह पत्नी श्री अवधेश कुमार सिंह ट्रस्ट की प्रथम संस्थापक/निर्माता/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष होगी। उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सके से ग्रसित, होने पर उनका प्रथम विधिक उत्तराधिकारी अथवा उनके द्वारा मृत्यु पूर्व नामित व्यक्ति ही उनके स्थान पर नियुक्त होगा।

4– श्री अवधेश कुमार पुत्र राम सिंह ट्रस्ट के प्रथम संस्थापक/निर्माता/ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष होंगे। उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सके से ग्रसित, होने पर उनका प्रथम विधिक उत्तराधिकारी अथवा उनके द्वारा मृत्यु पूर्व नामित व्यक्ति ही उनके स्थान पर नियुक्त होगा।

5– श्री सुदीप भूषण सिंह पुत्र स्व0 शशि भूषण सिंह ट्रस्ट के सचिव होंगे। उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सके से ग्रसित, होने पर मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष द्वारा चयनित व्यक्ति उनके स्थान पर नियुक्त होगा।

6– डा0 नीशी सिंह पत्नी डा0 सुदीप भूषण ट्रस्ट की प्रबन्धक/कोषाध्यक्ष होगी। उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सके से ग्रसित, होने पर मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष द्वारा चयनित व्यक्ति उनके स्थान पर नियुक्त होगा।

7– श्रीमती प्रीति पत्नी श्री धीरज सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी होंगी। उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सके से ग्रसित, होने पर मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष द्वारा चयनित व्यक्ति उनके स्थान पर नियुक्त होगा।

8– नीतू सिंह पुत्री श्री अवधेश कुमार सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी होंगी। उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सके से ग्रसित, होने पर मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष द्वारा चयनित व्यक्ति उनके स्थान पर नियुक्त होगा।

9– आकांक्षा सिंह पुत्री श्री अवधेश कुमार सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी होंगी। उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सके से ग्रसित, होने पर मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष द्वारा चयनित व्यक्ति

........18

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

38AD 453709

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(18)

उनके स्थान पर नियुक्त होगा।

10– ट्रस्ट के स्थायी व सामान्य सदस्यों की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष के निर्णय से की जायेगी।

11– माया सिंह ट्रस्ट के स्थायी मण्डल के मुख्य न्यासी/निर्माता होंगे।

12– निर्माता ही ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी होगा।

13– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष ही बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टी का फोरम होगा।

14– ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति के वारिस की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष द्वारा भविष्य में आवश्यकतानुसार की जायेगी।

15– किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों का क्रय–विक्रय मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष व ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष ही कर सकता है।

16– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैर सरकारी मामलों में अथवा किसी वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण लेने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष तथा उसकी अनुमति से अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर द्वारा समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा।

17– किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष का निर्णय ही मान्य होगा।

18– ट्रस्ट मण्डल (कोरम) के द्वारा लिये गये सभी निर्णयों एवं कार्यों का क्रियान्वयन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष की सहमति के बाद ही मान्य होगा।

19– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न समूहों (यूनिटों) का गठन कर सकेगा।

20– बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष व ज्वाइंट मैनेजिग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष के अनुमोदन से बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टी कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु नियमावली बना सकता है एवं उसे जारी कर सकता है।

........19

माया सिंह

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD.453710

(19)

21–. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट का स्थायी मण्डल समय समय पर निर्देशक, उपनिर्देशक, सचिव, उपसचिव, उपप्रबन्धक, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष आदि पदो पर नियुक्ति कर उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। इस दशा में ये समस्त सदस्य अस्थायी सदस्य होंगे। जिनका अधिकार एवं कर्तव्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

22– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थायी मण्डल समय समय पर निर्धारित शुल्क स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों से ले सकता है जो ट्रस्ट की निधि मानी जायेगी।
वे सभी सदस्य जो ट्रस्ट को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की हानि पहुचाते है तो ऐसे सदस्यों को मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर निकासित किया जा सकता है।

23– बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज के नाम, पते, पद निम्नवत् हैं:–

क्र०सं०	नाम, पिताकानाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती माया सिंह पत्नी श्री अवधेश कुमार सिंह	5/17/35, एफ देवकाली, फैजाबाद	मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष	गृहणी
2.	श्री अवधेश कुमार सिंह पुत्र श्रीराम सिंह	5/17/35, एफ देवकाली, फैजाबाद	ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्री सुदीप भूषण सिंह पुत्र स्व० शशिभूषण शरण सिंह	ग्रा० व पो०–बिशनोहरपुर, नवाबगंज, जिला–गोण्डा	सचिव	समाजसेवा
4.	डॉ. नीरी सिंह पत्नी डा० सुदीप भूषण	ग्रा० व पो०–बिशनोहरपुर, नवाबगंज, जिला–गोण्डा	प्रबन्धक/कोषाध्यक्ष	चिकित्सा
5.	श्रीमती प्रीति पत्नी श्री धीरज सिंह	5/17/35, एफ देवकाली, फैजाबाद	ट्रस्टी प्रथम	गृहणी
6.	नीतू सिंह पुत्री श्री अवधेश कुमार सिंह	5/17/35, एफ देवकाली, फैजाबाद	ट्रस्टी द्वितीय	समाजसेवा
7.	आकांक्षा सिंह पुत्री श्री अवधेश कुमार सिंह	5/17/35, एफ देवकाली, फैजाबाद	ट्रस्टी तृतीय	समाजसेवा

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

माया सिंह

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

38AD 453711

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(20)

9. <u>स्थायी मण्डल/बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्यः—</u>

1— ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य करना।

2— ट्रस्ट की वार्षिक रिर्पोट तैयार करना/करवाना।

3— ट्रस्ट द्वारा अर्जित चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4— ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए हर वो कार्य करना जिससे ट्रस्ट का लाभ हो तथा सम्पत्तियों का क्रय—विक्रय भी करना।

5— संस्था के आगे बढ़ाने के लिए आयकर अधिनियम 12ए. 80जी, 10/23 व 35 ए सी के अर्न्तगत पंजीकृत कराना व उनसे मिलने वाली सुविधाए प्राप्त कराना।

6— आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन करना।

7— ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्व स्तरीय योग्यदान प्राप्त करने के लिए एफ.सी.आर.ए. का पंजीयन कराना।

8— ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आर्थिक बाजार में मोचनीय स्टाक प्रिमियम का क्रय विक्रय करना।

9— ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट समय समय पर आर्थिक सहायता व ऋण ले सकता है।

नोटः 1. ट्रस्ट की नियमावली में आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार संशोधन कर उसे रजिस्टर्ड कराया जायेगा।

2. शिक्षात्मक प्रबन्धसमिति में शिक्षा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूतिच जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशनल नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त हाने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।

6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और इन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक

21

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

38AD 453712

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध करायें जायेंगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था इसका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

10. **<u>ट्रस्ट के स्थायी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य</u>** :–

<u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष</u>

1. सभी प्रकार के बैठको की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
4. ट्रस्ट के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
5. ट्रस्ट का मुख्य कार्यपालक के रूप मे कार्य करेगा।
6. सदस्यों के सदस्यता पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।
7. कर्मचारियों को नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवामुक्ति करना।
8. पारित बजट के अर्न्तगत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
9. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
10. ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
11. समस्त, सदस्यों, कर्मचारियों को दायित्व सौपना, उनके कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों में परिवर्तन, परिवर्धन करना।
12. ट्रस्ट का कार्यालयी प्रबंध देखना।
13. ट्रस्ट से जुड़ी प्रत्येक कमेटियों/यूनिटों (जिसमें प्रत्येक प्रकार की कमेटियाँ/यूनिटें सम्मिलित हैं) का संचालन एवं प्रबन्ध करना।
14. ट्रस्ट के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना अथवा ऐसा करने की संस्तुति देना।
15. प्रशासकीय कार्यो के दायित्वों का निर्वाहन करना।
16. ट्रस्ट द्वारा अर्जित चल एवं अचल सम्पत्ति को क्रय–विक्रय करना।

.......22

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 | TEN RUPEES Rs.10

भारत — सत्यमेव जयते — INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AD 453713

(22)

17. समस्त कर्मचारियों को लाभ प्रदान करेगा, वेतन देना, वेतन मे वृद्धि एवं कटौती करना अथवा उनके द्वारा लिए गये ऐसे निर्णय जो ट्रस्ट अथवा उसके लिए अहितकारी या अलाभकारी हो, उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाना।

18. ट्रस्ट के विकास हेतु समय–समय पर अपना मार्गदर्शन देना।

<u>ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी / उपाध्यक्ष</u> :–

1. संस्थापक ट्रस्टी / मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ट्रस्ट का सम्पूर्ण कार्यभार ग्रहण करना।
2. ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना।
3. बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
4. बैंक खाते का संचालन करना।
5. संस्थापक ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
6. आवश्यकतानुसार आडिट कराना व अपनी रिपोर्ट से मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष को अवगत कराना।
7. ट्रस्ट के बैठकों की सूचना ट्रस्ट के सदस्यों को लिखित रूप में देना।
8. समस्त संस्थाओं / ऐजेंसियों / विभागों / मंत्रालयों से संबंधित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।

<u>सचिव</u> :–

1. ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना।
2. ट्रस्ट की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।
3. बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
4. बैंक खाते का संचालन करना।

<u>प्रबन्धक / कोषाध्यक्ष</u> :–

1. ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. ट्रस्ट के विकास हेतु दान–अनुदान चंदा, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा उसकी यथावधि रसीद देना।

.......23

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 453714

(23)

3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट निधि का प्रयोग करना।
4. ट्रस्ट के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
5. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना।
6. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष की अनुमति पर समस्त संस्थाओं/एजेंसियों/विभागों/मंत्रालयों से संबंधित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
7. ट्रस्ट के समस्त कार्यों को अपनी देख रेख में करवाना।
8. ट्रस्ट के सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना।

11. <u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टी</u>:-

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन आवश्यकतानुसार मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष की अनुमति पर किया जायेगा। कार्यकारिणी सदस्यों की अधिकतम संख्या बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।

12. <u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य</u>:-

1- पूर्व मीटिंग की कार्यवाही की स्वीकृति देना।
2- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्टी रखी गयी वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करके उसे पास करना।
3- आगामी वर्ष के बजट पर चर्चा करके उसे पास करना ।
4- ट्रस्ट की नियमावली मे मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा किये गये संशोधन को ट्रस्ट के हित में मंजूरी देना।
5- किसी ऐसे मामले के बारे मे कार्यवाही करना जिसे कार्यवाही हेतु मीटिंग मे पेश किया हो।
6- किसी विशेष आवश्यकता के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष के अनुमोदन पर सब कमेटी बनायी जा सकती है।
7- बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टी व बोर्ड ऑफ ट्रस्टी किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार न होगा। लेकिन न्यासी हो सकता है खुद के द्वारा किये गये सभी खर्चों जो उसने कर्तव्य निर्वाह मे खर्च किये है, उनकी प्रतिपूर्ति कर सकता है।

13. <u>बैठक</u>:- बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की प्रत्येक वर्ष मे कम से कम एक बैठक अवश्य होगी जो अवश्यकतानुसार 24 घण्टे पूर्व कभी भी बुलाई जा सकती है।

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 453715

14. कोरमः— बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के कुल वैध सदस्यों में 2 सदस्यों की उपस्थिति कोरम मानी जायेगी। जिसमें मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष व ज्वांइट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष की उपस्थिति आवश्यक है।

15. रिक्त स्थानों की पूर्तिः— बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टी के अन्तर्गत समय से पहले अचानक किसी पदाधिकारी का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष व ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या प्रत्यक्ष रूप से की जायेगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष व ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष ता उम्र अपने पद पर बने रहेंगे एवं ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति के वारिस की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा भविष्य में आवश्यकतानुसार की जायेगी।

16. ट्रस्ट के अभिलेख :—ट्रस्ट के समस्त अभिलेख जैसे—सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक एवं अन्य अभिलेख मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अथवा ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष के पास होगा।

17. ट्रस्ट का कोषः—ट्रस्ट का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त व राष्ट्रीयकृत बैंक मे ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर अथवा दोनों में से किन्ही एक के एकल हस्ताक्षर द्वारा किया जा सकेगा।

18. ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण/आडिटः— ट्रस्ट के आय–व्यय का परीक्षण/आडिट किसी योग्य आडीटर द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा जिसकी नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अथवा ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष के संयुक्त निर्णय से होगी। हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

19. ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः—
ट्रस्ट द्वारा होने वाले समान अदालती कार्यवाही की पैरवी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा की जायेगी। समस्त वादो का निस्तारण जनपद–फैजाबाद न्यायालय के अधीन होगा।

20. दायित्वः—ट्रस्ट की प्रदत ऋणों की अदायगी उसकी उपयोगिता एवं सुरक्षा का दायित्व सभी सदस्यों का सामूहिक एवं पृथक–पृथक रूप से होगा और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी दायित्व के लिए सदस्य अपनी

...25

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 453716

व्यक्तिगत् सम्पत्ति जमानत में देंगे तथा यह दायित्व ऋण अदायगी तक बना रहेगा।

21. <u>ट्रस्ट का विघटनः</u>– ट्रस्ट के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इस आधार पर होगी जिसमे ट्रस्ट मण्डल के **मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष** व ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष की सहमति से ऋण की अदायगी व बकाये कर्ज का निस्तारण किया जा सके।

22. ट्रस्ट एक्ट की अपीलताः भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 का प्रावधान उन सभी मामलों पर लागू होगा जो विशेष रूप से इन प्रस्तुतियों में उल्लिखित नहीं हैं।

23. ट्रस्ट के नियमों/विनियमों में संशोधन की प्रक्रियाः

1) यद्यपि यह ट्रस्ट अपरिवर्तनीय होगा, ट्रस्ट की नियमावली में संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष की आज्ञा से बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को होगा। ऐसे संशोधन के लिए कम से कम एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। संशोधन या परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के 2 सदस्यों के बहुमत से पारित होने पर स्वीकृत होगा। जिसमें मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है। किसी भी दशा में संशोधन ट्रस्ट के मूल हितो के प्रतिकूल नही होगा और न ही ऐसा कोई संशोधन किया जायेगा।

2) यदि कोई परिवर्तन या संशोधन जरूरी है, तो पूरक कार्यों/कर्मों से प्रभावित होगा और ये मुख्य ट्रस्ट डीड के साथ एक साथ पढ़ा जाएगा।

24. सामान्य सदस्यों का कार्यकाल ट्रस्ट द्वारा निर्मित नियमावली के अनुसार एक वर्ष का होगा एवं मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष किसी भी सामान्य सदस्य को कभी भी बिना किसी पूर्व नोटिस के हटा सकता है तथा उसका कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी/उपाध्यक्ष द्वारा उसका कार्यकाल बढाया जा सकता है। नये सदस्यों को ट्रस्ट द्वारा निर्मित नियमावली के अनुसार रख सकता है।

......26

Principal
D. N. School
Charera, Purabazar
Ayodhya

Manager
Durgesh Nandani School
Faizabad

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 436 के पृष्ठ 311 से 362 तक क्रमांक 75 पर दिनांक 10/04/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्मल सिंह
उप निबंधक : सदर
फैजाबाद

न्यास पत्र

प्रतिफल- 25000 स्टाम्प शुल्क- 1030 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 140 योग : 640

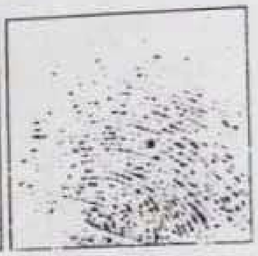

श्रीमती माया सिंह बालिक ,
पत्नी श्री अवधेश कुमार सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 5/17/35एफ देवकाली फैजाबाद

माया सिंह

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 10/04/2018 एवं 11:03:19 AM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्मल सिंह
उप निबंधक :सदर
फैजाबाद